



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़े जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

मुरादाबाद
काँठ
171350030065553
046173005012

जारी दिनांक: 28/08/2017

प्रमाणित किया जाता है
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

कु. अनुराधा
श्री धर्मेन्द्र सिंह
श्रीमती
0, मुण्डाला मौ० जमापुर (ढकैड़ा पश्चिमी)



काँठ
मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश राज्य की गूडेगिया जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची २ में उल्लिखित मान्यता प्राप्त है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. अनुराधा पूर्व में अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया उपाय को २०१० तक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा शासनादेश संख्या 22/16/92 दी० सी० का अनुसूचित वर्ग अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निम्नतर मौल वर्गों की अवधि के लिए प्रमाणित किया जाता है कि आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: नीरज विश्वोई, एकल खिड़की तहसील, मुरादाबाद
पद: नीरज विश्वोई, केन्द्र प्रभारी
स्थान: तहसील काँठ, काँठ, Moradabad
दिनांक: 28/08/2017
हस्ताक्षर एवं मुहर

KHALID
ANJUM
KHAN

Digitally Signed by
KHALID ANJUM KHAN
O=REVENUE
DEPARTMENT
OU=REVENUE, S=Uttar
Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
काँठ, मुरादाबाद
दिनांक: 28/08/2017

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र नवम्बर २०१७ तक प्रमाणित किया जा सकता है।
यह प्रमाण पत्र नवम्बर २०१७ तक प्रमाणित किया जा सकता है।
यह प्रमाण पत्र नवम्बर २०१७ तक प्रमाणित किया जा सकता है।